

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सं०-मं० मं०-01/आर० -02/2007 (अंश-1).....दिनांक.....

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद-166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं०-602 दिनांक-20.03.2007 द्वारा संशोधित बिहार कार्यपालिका नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करते हैं -

संशोधन

1. कार्यपालिका नियमावली के नियम-21 के अधीन बनी चतुर्थ अनुसूची 'ग' में निम्नवत संशोधन किया जाता है -

चतुर्थ अनुसूची "ग" की कंडिका-7 एवं 8 के प्रावधान विलोपित किये जाते हैं। तदनुसार चतुर्थ अनुसूची "ग" के क्रमांक -9, 10, 11, 12 के स्थान पर क्रमशः क्रमांक- 7, 8, 9, 10 पढ़ा जाय। साथ ही चतुर्थ अनुसूची "ग" के अन्त में एक टिप्पणी निम्नवत जोड़ी जाती है -

"टिप्पणी - भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति संबंधी प्रत्यायोजित शक्ति एवं प्रक्रिया वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।"

यह अधिसूचना तुरत प्रभावी समझी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

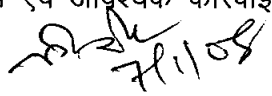
ह०/-

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- मं० मं०-01/आर० -02/2007 (अंश-1).....⁷¹.....दिनांक 07-01-08

प्रतिलिपि - सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

